संख्या-59/2021/1129/26-3-2021-4(56)/96-टी0सी0

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 26 मार्च 2021

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत केन्द्र पुरोनिधानितअनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-4083/स.क./शिक्षा-अ/2/1283/2020-21, दिनांक-25.03.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-83 में केन्द्र पुरोनिधानित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रूपये-892.36 करोड़ में से **रू0-710.6947 करोड़ (रूपये-सात अरब दस करोड़ उनहत्तर लाख सैतालीस हजार मात्र)** निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत व्यय किये जाने हेतु राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-प्रश्नगत योजना की नियमावली एवं भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(3)-प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है।

(4)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(5)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखाना/ डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(6)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(7)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(8)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24 मार्च 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(10)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(11)-यह भी सुनिश्ति किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नही हो रही है।

(12)-यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

(13)-उक्त धनराशि का व्यय करते समय भारत सरकार के पत्र संख्या-14011/11/2018-एस.सी.डी.-अ , दिनांक-25.03.2021 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83-लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें- 0103-अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति(के.100/रा.0-के.)-21- छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

अशोक कुमार
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-59/2021/1129(1)/26-3-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2-प्रधान महालेखाकार (सिविल आॅडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
3-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
4-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5-वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6-राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 लखनऊ।
7-निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन,लखनऊ।
8-गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।